



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 196

दर्ज तिथि:-27.08.2021

1. गुमानसिंह पुत्र मोहडसिंह
2. गुलाबसिंह पुत्र मोहडसिंह
3. विरमसिंह पुत्र नेनसिंह
4. गोमती पत्नी नेनसिंह
5. नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
6. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
7. हडमतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
8. मांगी देवी पत्नी अर्जुनसिंह
9. मोहनसिंह पुत्र रावतसिंह
10. भैरसिंह पुत्र रावतसिंह
11. शंकरसिंह पुत्र रावतसिंह

जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. जोधसिंह दत्तक पुत्र बाघसिंह
जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी गुडामालानी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
3. किशनराम पुत्र जेताराम
4. सुरेश कुमार पुत्र किसनाराम
जाति विश्नोई निवासी गुडामालानी
5. पुनमाराम पुत्र किशनाराम
जाति विश्नोई निवासी डगरवा तहसील बागोडा जालौर

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-21.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1669/1.0684 है0 वाके ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 ने असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस का निवेदन किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.10.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रैजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/439 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/439 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><i>21 Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</i></p> <p><i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 05.02.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक एसपी-01 दिनांक 28.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक एसपी-01 दिनांक 28.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1669/1.0684 है0 वाके ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का

संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1669/1.0684 है0 वाके ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गुमानसिंह पुत्र मोहड़सिंह हि0 1/12	राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1669	0.2792	बा0दो0
गुलाबसिंह पुत्र मोहड़सिंह हि0 1/12				
गोमती पत्नी नेनसिंह हि0 1/12				
वीरमसिंह पुत्र नेनसिंह हि0 1/12				
बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/24				
हड़मतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/24				
नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/24				
मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह हि0 1/24				
मोहनसिंह पुत्र रावताजी हि0 1/6				
शंकरसिंह पुत्र रावताजी हि0 1/6				
भैरसिंह पुत्र रावताजी हि0 1/6				
कौम राजपूत सा0 देह खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 0.2792 है0				
किशनाराम पुत्र जेताराम हि0 1/3	राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1669	0.7892	बा0दो0
पूनमाराम पुत्र किशनाराम हि0 1/3				
सुरेश कुमार पुत्र किशनाराम हि0 1/3				
कौम विश्णोई सा0 गुडामालानी खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 0.7892 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी

है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



सत्यमेव जयते

गुडामालानी



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 196

दर्ज तिथि:-27.08.2021

1. गुमानसिंह पुत्र मोहडसिंह
2. गुलाबसिंह पुत्र मोहडसिंह
3. विरमसिंह पुत्र नेनसिंह
4. गोमती पत्नी नेनसिंह
5. नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
6. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
7. हडमतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
8. मांगी देवी पत्नी अर्जुनसिंह
9. मोहनसिंह पुत्र रावतसिंह
10. भैरसिंह पुत्र रावतसिंह
11. शंकरसिंह पुत्र रावतसिंह

जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. जोधसिंह दत्तक पुत्र बाघसिंह
जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी गुडामालानी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
3. किशनराम पुत्र जेताराम
4. सुरेश कुमार पुत्र किसनाराम
जाति विश्नोई निवासी गुडामालानी
5. पुनमाराम पुत्र किशनाराम
जाति विश्नोई निवासी डगरवा तहसील बागोडा जालौर

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1669/1. 0684 है0 वाके ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गुमानसिंह पुत्र मोहड़सिंह हि0 1/12 गुलाबसिंह पुत्र मोहड़सिंह हि0 1/12 गोमती पत्नी नेनसिंह हि0 1/12 वीरमसिंह पुत्र नेनसिंह हि0 1/12 बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/24 हड़मतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/24 नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/24 मांगीदेवी पत्नी अर्जुनसिंह हि0 1/24 मोहनसिंह पुत्र रावताजी हि0 1/6 शंकरसिंह पुत्र रावताजी हि0 1/6 भैरसिंह पुत्र रावताजी हि0 1/6 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1669	0.2792	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.2792 है0				
किशनाराम पुत्र जेताराम हि0 1/3 पूनमाराम पुत्र किशनाराम हि0 1/3 सुरेश कुमार पुत्र किशनाराम हि0 1/3 कौम विश्णोई सा0 गुडामालानी खातेदार	राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी	1669	0.7892	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.7892 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।
खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

गुमानसिंह बनाम जोधसिंह
2021 / 196
निर्णय दिनांक:-21.04.2025

यह डिक्री आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाडमेर

